न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 008/2018

1. सुभाष पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. चावली देवी पत्नी बनवारीलाल
3. मंगेजसिंह
4. रायसाहब
5. औमप्रकाश

पुत्रान बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1. संगारी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सावित्री पुत्री श्री बृजलाल पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी खारिया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कैलाश पुत्री बृजलाल पत्नी श्री हनुमानराम जाति जाट निवासी 9 पी.डी.एस. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. शकुन्तला पुत्री बृजलाल पत्नी श्री महावीर जाति जाट निवासी गणपति नगर श्रीगगानगर (राजस्थान)
5. सन्तोष पुत्री बनवारीलाल पत्नी श्री शिवकुमार जाति जाट निवासी 9 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. इन्द्रा पुत्री श्री बनवारीलाल पत्नी श्री शंकरलाल जाति जाट निवासी 5 पी.पी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
7. कमला पुत्री बनवारीलाल पत्नी श्री बहादरराम जाति जाट निवासी फकीरावाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
8. गोमती पुत्री श्री नानकराम पत्नी श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी पी.पी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
9. दयाराम
10. रामनारायण
11. महेन्द्र

पुत्रान श्री जगदीश जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

12. मोहिनी पुत्री श्री जगदीश पत्नी श्री बेगराज जाति जाट निवासी 48 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
13. शकुन्तला पुत्री जगदीश पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री भगवानाराम जैपाल अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 13
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 14

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.05.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 22 एम.एल. के खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 4/2 में .240 हैक्टर नहरी किला नम्बर 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर नहरी कुल 1.252 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के पिता स्व. श्री जगदीश चन्द्र के नाम से दर्ज कागजात माल है, नकल मौजूदा जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है।

चक 22 एम.एल. के खाता संख्या 48/44 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 10 ता 13, 18 ता 23 में 0.253 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 7 ता 9, 12 ता 25 में 3.795 हैक्टर नहरी मय खाला कुल खाता 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला आराजी वादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के पति प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पति व वादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पूर्व मे यह रकबा श्री नानक पूर्व में यह रकबा श्री नानकराम के वारिसान तीनों वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जिसकी जमाबन्दी संलग्न दावा है, नकल मौजूदा जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर चक 13 एच.एच. के खाता संख्या 43/28 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.720 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.235 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 1 ता 5 में 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 3/2 में 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला कुल खाता 11.436 हक्टैर नहरी मय खाला आराजी में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 3.693 हैक्टर वादी संख्या 2 ता व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम 3.705 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1.581 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के नाम 1.581 हैक्टर दर्ज है, नकल मौजूदा जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

चक 13 एच.एच. के खाता संख्या 44/27 के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 ता 10 दर्ज कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला आराजी में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 12 के पिता के नाम दर्ज कागजात माल है जिसमें बनवारीलाल के वारिसान का 0.422 हैक्टर, बृजलाल के वारिसान का 0.421 हैक्टर जगदीश के वारिसान का 0.022 हैक्टर रकबा दर्ज है, नकल मौजूदा जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादीगण के नाम से जो रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है जो वादीगण व प्रतिवादीगण को अपनें दादा परदादा से प्राप्त हुई है। चूँकि संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार की भूमि दो चकों व चार खातों में व कई मुरब्बों में पड़ती है इस कारण प्रत्येक सदस्य के लिये प्रत्येक जगह काश्त करना कठिनाई पूर्ण व खर्चीला था। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता तीनों भाईयों नें अपनें जीवनकाल में काश्त की सहूलियत अच्छी आबपासी, हक व हिस्सा अनुसार अच्छी माड़ी, उपजाऊ कम उपजाऊ काश्त अनुसार आज से 15 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलु बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपनें अपनें हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

खाता सांझा रहनें से लगान व आबयाना आदि देनें व पानी व देनें की भराई खिचाई आदि में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती है व कब्जा में किला [illegible] नहीं होने के कारण बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का [illegible] नहीं [illegible] है इस कारण हक व हिस्सा अनुसार [illegible] नहीं है

घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया :–

(क) वादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 सालम 23 ता 25 (प्रत्येक में 0.228) कुल 3.720 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 3/2 में 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 15 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 16, 25 में कुल 0.506 हैक्टर मय खाला कुल दोनों चकों में 6.945 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 09 बिस्वा।

(ख) वादी संख्या 2 ता 5 का बहिस्सा बराबर :– चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 4/2 में 0.240 हैक्टर किला नम्बर 7, 10 ता 14, 17 ता 24 सालम कुल 3.782 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 ता 9 में 0.759 हैक्टर किला नम्बर 12, 13 कुल 0.506 हैक्टर, 14/.190, 15/.190, किला नम्बर 18, 19, 22, 23 सालम कुल दोनों चकों में 6.439 हैक्टर अर्थात 25 बीघा 09 बिस्वा मय खाला ।

(ग) प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 3 ता 8 की 1.518 हैक्टर, किला नम्बर 13 ता 18 में 1.518 हैक्टर व किला नम्बर 23 ता 25 कुल 0.759 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टर दोनों मुरब्बों में कुल 6.325 हैक्टर व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 14 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 17 ता 24 में 0.506 हैक्टर कुल 0.569 हैक्टर दोनों चकों की कुल 6.894 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 5 बिस्वा।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हिस्सा :– प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेनें से मना कर दिया है तथा उन्होनें अपनें पिता की रस्म पगड़ी के वक्त अपना हिस्सा परित्याग कर दिया है इस कारण उनको घरू बंटवारा में कोई रकबा नहीं दिया जा रहा है।

वादीगण नें प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि घरेलू बंटवारा अनुसार है व हिस्सा नुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व कार्ड मे दर्ज करवानें के लिये सक्ष्म अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि सब ा खाता विभाजन हो जाये पहले तो वह आजकल आजकल करनें लगे फिर आज से 10 ज पूर्व स्पस्ट इन्कार हो गये और कहनें लगें की हम घरू बंटवारा को नहीं मानते और ना आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते है तुम्हे जो करना है सो करों बस यही बिनाय वा है जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है।

प्रतिवादीगण को इस बात का इल्म होनें पर की रकबा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में र्ज है उनके मन में बदनियती आ गई है और वह रकबा रहन, बैय करनें की फिराक में है गर उन्होनें दौरानें दावा रकबा रहन बैय कर दिया तो वादीगण को ना पुरा होनें वाला कसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। वादीगण अपनें क व हिस्सा से महरूम हो जावेगें। इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द या जाना आवश्यक व जरूरी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री ाया जावे :–

) वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 9 के अनुसार खातेदार काश्तकार है।

) इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान अदायगी अलग अलग कायम किया जावे

(ग) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(घ) प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह दौरानें दावा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी ना करें।

(च) अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.02.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री भगवानाराम जैपाल अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार एक ही परिवार के होनें के कारण मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है हम पक्षकारान की सहमति घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में निम्न प्रकार से आया है :–

(क) वादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 सालम 23 ता 25 (प्रत्येक में 0.228) कुल 3.720 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 3/2 में 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 15 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 16, 25 में कुल 0.506 हैक्टर मय खाला कुल दोनों चकों में 6.945 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 09 बिस्वा।

(ख) वादी संख्या 2 ता 5 का बहिस्सा बराबर :– चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 4/2 में 0.240 हैक्टर किला नम्बर 7, 10 ता 14, 17 ता 24 सालम कुल 3.782 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 ता 9 में 0.759 हैक्टर किला नम्बर 12, 13 कुल 0.506 हैक्टर, 14/.190, 15/.190, किला नम्बर 18, 19, 22, 23 सालम कुल दोनों चकों में 6.439 हैक्टर अर्थात 25 बीघा 09 बिस्वा मय खाला ।

(ग) प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 3 ता 8 की 1.518 हैक्टर, किला नम्बर 13 ता 18 में 1.518 हैक्टर व किला नम्बर 23 ता 25 कुल 0.759 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टर दोनों मुरब्बों में कुल 6.325 हैक्टर व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 14 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 17 ता 24 में 0.506 हैक्टर कुल 0.569 हैक्टर दोनों चकों की कुल 6.894 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 5 बिस्वा। मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 22 में मन्जूर शुद्धा नाका है इसी से आगे किला नम्बर 24 तक सिंचाई व्यवस्था के लिये खाला देय होगा।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हिस्सा :– प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेनें से मना कर दिया है तथा उन्होनें अपनें पिता की रस्म पगड़ी के वक्त अपना हिस्सा परित्याग कर दिया है इस कारण उनको घरू बंटवारा में कोई रकबा नहीं दिया जा रहा है।

पैरोकार राज द्वारा दावा का बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य पक्ष ा ध्यान रखते हुए उचित निर्णय पारित किया जावे। राज्य पक्ष की और से जबाब दावा के न्दर्भ में वादी की और से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिवारिक सदस्यों के बीच घरेलु बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवानें व अधिकारों की

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

घोषणा के बाबत प्रस्तुत वाद पत्र मे में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की बहनों बुआ, व माता के द्वारा अपना हक व हिस्सा अपने भतीजों, पुत्रों व भाईयों के हक में हक त्याग कर रखा है इस कारण दस्तबरदारी की स्टाम्प डयूटी भरवाना चाहते है।

प्रकरण में उभयपक्ष में मध्य राजीनामा होनें से किसी प्रकार का कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई जाकर उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा राजीनामा में भूमि नहीं लेनें बाबत कथन किया गया है चुकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मुताबिक राजस्व अभिलेख रिकार्डेड खातेदार है जो राजीनामा के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को अपनें भाई, भतिजों व पुत्रों के पक्ष में छोड़ रही है जो जरिये दस्तबरदारी के छोड़नें से राजस्व आय होती परन्तु जरिये राजीनामा छोड़नें से राजस्व हानी की पूर्ति किया जाना न्यायोचित है। इस सम्बंध मे उभयपक्ष स्टाम्प डयूटी भरवानें हेतु भी सहमत है। अतः उभयपक्ष द्वारा राज्य हीत में स्टाम्प डयुटी भरवाये जानें के कारण वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

(क) वादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 सालम 23 ता 25 (प्रत्येक में 0.228) कुल 3.720 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 3/2 में 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 15 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 16, 25 में कुल 0.506 हैक्टर मय खाला कुल दोनों चकों में 6.945 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 09 बिस्वा।

ब) वादी संख्या 2 ता 5 का बहिस्सा बराबर :– चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 4/2 में 0.240 हैक्टर किला नम्बर 7, 10 ता 14, 17 ता 24 सालम कुल 3.782 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 7 ता 9 में 0.759 हैक्टर किला नम्बर 12, 13 कुल 0.506 हैक्टर, 14/.190, 15/.190, किला नम्बर 18, 19, 22, 23 सालम कुल दोनों चकों में 6.439 हैक्टर अर्थात 25 बीघा 09 बिस्वा मय खाला ।

) प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 का हिस्सा :– चक 13 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 3 ता 8 की 1.518 हैक्टर, किला नम्बर 13 ता 18 में 1.518 हैक्टर व किला नम्बर 23 ता 25 कुल 0.759 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टर दोनों मुरब्बों में कुल 6.325 हैक्टर व चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 14 में 0.063 हैक्टर किला नम्बर 17 ता 24 में 0.506 हैक्टर कुल 0.569 हैक्टर दोनों चकों की कुल 6.894 हैक्टर अर्थात 27 बीघा 5 बिस्वा। मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 22 में मन्जूर शुद्धा नाका है इसी से आगे किला नम्बर 24 तक सिंचाई व्यवस्था के लिये खाला देय होगा।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का जरिये राजीनामा तीन ारों द्वारा अपनें भाई, भतिजों व पुत्रों के पक्ष में छोड़ गये हिस्से के सन्दर्भ में कुल तीन बरदारी करवाई जानी थी जिसकी राजस्व हानी की पूर्ति हेतु है प्रत्येक दस्तबरदारी के)/– की दर से कुल 20,400/– (अखरे रूपये बीस हजार [illegible]) [illegible] पेश होनें पर डिक्री जारी है

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गणेशगढ़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर